सत्र 2023–24

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी नियम–

1. अभ्यर्थी को किसी मान्यता पाप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. यदि किसी छात्रा का गैप सात वर्ष है तो भी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन 2 वर्ष के गैप के पश्चात 3–7 वर्ष गैप पर इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक का 1–5% अंक की कटौती की जायेगी।
3. बी0एस–सी0 में केवल जीव विज्ञान समूह ही प्रवेश हेतु उपलब्ध है। अतः गणित वर्ग के अभ्यर्थी बी0एस–सी0 हेतु आवेदन नही कर सकते।
4. प्रवेश योग्यतांक पर होगा। योग्यतांक निम्नवत तैयार की जायेगी–
   - योग्यतांक= इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक + भारांक - गैप वर्ष की कटौती
5. विषय आवंटन काउसिलिंग के समय किया जायेगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी नियम–

1. अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. यदि किसी छात्रा का गैप सात वर्ष है तो भी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन 2 वर्ष के गैप के पश्चात 3–7 वर्ष गैप पर इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक का 1–5% अंक की कटौती की जायेगी।
3. बी0एस–सी0 में केवल जीव विज्ञान समूह ही प्रवेश हेतु उपलब्ध है। अतः गणित वर्ग के अभ्यर्थी बी0एस–सी0 हेतु आवेदन नही कर सकते।
4. प्रवेश योग्यता सूचकांक पर होगा। योग्यतांक निम्नवत तैयार की जायेगी–
   - योग्यतांक= इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक + स्नातक का प्राप्तांक + स्नातक में सम्बंधित विषय का प्राप्तांक + भारांक - गैप वर्ष की कटौती
5. **स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को उनके कुल पूर्णाक का 5% अंक अधिभार के रूप में दिया जायेगा**

भारांक सम्बन्धी नियम–

- प्रवेश के समय शिक्षणेतर क्रिया कलापों से संबंधित प्रमाण–पत्र धारकों को निम्नानुसार भारांक देय होगा

1. **गाइड / रेंजर**

(क) प्रवेश प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र – 02 अंक

(ख) प्रवीण प्रमाण–पत्र – 03 अंक

(ग) निपुण प्रमाण–पत्र – 05 अंक

2. **खेलकूद–**

(क) जनपद स्तरीय प्रमाण–पत्र – 02 अंक

(ख) अर्न्तजनपदीय स्तर प्रमाण–पत्र– 03 अंक

(ग) प्रवेश / राष्ट्रीय स्तर प्रमाण–पत्र– 05 अंक

3. **एन0सी0सी0**

(क) ट्रेनिंग एवं सामान्य प्रमाण–पत्र – 02 अंक

(ख) बी प्रमाण–पत्र– 03 अंक

(ग) सी प्रमाण – 05 अंक

4. **एन0एस0एस0–**

(क) 240 घंटे सेवावधि का प्रमाण–पत्र– 02 अंक

(ख) एक विशेष शिविर प्रमाण–पत्र – 03 अंक

(ग) दो विशेष शिविर प्रमाण–पत्र – 05 अंक

नोट– किसी भी दशा में शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भारांक 10 से अधिक देय नहीं होगा।

आरक्षण संबंधी नियम–

- योग्यता सूची के निर्धारण करते समय उ0प्र0 शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।